न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 55/2024

अपीलांट –	*बनाम*	रेस्पोडेंट्स –
1. रावताराम पुत्र गेमराराम 2. रूपाराम पुत्र गेमराराम 3. बींजाराम पुत्र गेमराराम जाति नाई निवासी नागणेशियान ढूंढा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर		1. नरसिंगाराम पुत्र वीरमाराम 2. नारणाराम पुत्र वीरमाराम 3. शैतानसिंह पुत्र वीरमाराम जाति नाई निवासी नागणेशियान ढूंढा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 4. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण 5. इन्द्रादेवी पत्नि वीरमाराम जाति नाई निवासी नागणेशियान ढूंढा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 518 दिनांक 12.04.2013 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री राजूराम कुमावत, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री धर्मसिंह भाटी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 से 3, 5 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पो0 सं. 3 प्रर्फोमा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 24.12.2025

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 518 दिनांक 12.04.2013 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा नागणेशियान पटवार हल्का ढूण्ढा में खेत खसरा संख्या 320, 321 क्रमशः रकबा 1–18, 45–07 बीघा भूमि खातेदारान रावताराम, बींजाराम, रूपाराम पि. गेमराराम, खेतू देवी धर्मपत्नी गेमराराम, वीरमाराम पुत्र खेताराम कौम नाई के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो के विभाजन हेतु दिनांक 10.04.2013 को प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थना-पत्र के प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर पटवारी कवास की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 518 दिनांक 12.04.2013 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.10.2025 को प्रस्तुत की गई है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:44:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स एवं रेस्पों. संख्या 1 से 3 एवं 5 के अधिवक्तागण को सुना। अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि मौजा नागणेशियान में खेत खसरा संख्या 320, 321 क्रमशः रकबा 1–18, 45–07 बीघा भूमि पक्षकारान के खातेदारी में दर्ज थी। उतरदाता संख्या 1 से 3 के पिता वीरमाराम व अपीलांट्स को वादग्रस्त खेतों का मौके पर कब्जा काश्त व पूर्व में किये गये बंटवाडा अनुसार विभाजित करने व पक्षकारान का पृथक–पृथक खातेदारी अंकन करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर अपीलांट्स ने समस्त खसरों मे मौके पर कब्जा काश्त अनुसार सहमति दी, जिस पर दोनो पक्षों ने पटवारी से मिलकर विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जा अनुसार तैयार करने को कहा जिस पर पटवारी ने समस्त खेतों में विभाजन रेखा डालकर नक्शा तैयार किया। अपीलांट्स व उतरदाता संख्या 1 से 3 ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विभाजन समझौता प्रस्ताव प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 मे उतरदाता संख्या 04 तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया तथा पक्षकारान ने विभाजन प्रस्ताव, नक्शें व जमाबंदी पर हस्ताक्षर संलग्न नक्शे के अनुसार भूमि का विभाजन करवाने हेतु तहसीलदार के समक्ष पेश किया। उतरदाता द्वारा पटवारी को प्रभावित कर इस विभाजन हेतु तैयार पूर्व के नक्शें को बदलते हुए अपीलांट्स व उतरदातागण द्वारा नक्शे पर किये गये हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान पर दुबारा उतरदातागण के कहे अनुसार हलका पटवारी ने नक्शा तैयार कर तहसीलदार के समक्ष पेश कर दिया इस समस्त कार्यवाही अपीलांट्स को कोई ज्ञान नहीं होने दिया और अपीलांट्स के शिविर से चले जाने के बाद विभाजन आवेदन तहसीलदार से तस्दीक करा दिया। इस प्रकार अपीलांट्स व उतरदाता संख्या 1से3 की भूमि का विभाजन पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार नहीं कर गलत पारित किया गया जो निरस्त योग्य है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि दिनांक 12.04.2013 की पालना में नामान्तरकरण भी पारित किया तथा [illegible] से अलग–अलग तरमीम भी कर दी जिसकी जानकारी [illegible] वर्तमान में कुछ अरसा पूर्व अपीलांट्स ने अपने [illegible] करवाया गया तब मौके की स्थिति व राजस्व रेकर्ड की भिन्नता पाई [illegible] जिस पर अपीलांट ने रेकर्ड की जांच की तो पता चला कि सहमति से विभाजन पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार अनुसार नहीं किया गया तब अपीलांट्स ने उक्त सहमति

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:44:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते
जिला कलक्टर
बाड़मेर

विभाजन की तहसीलदार बाड़मेर नकलें मांगी जो नकले अपीलांट्स को दिनांक 22.11.2024 को प्राप्त हुई। को प्राप्त हुई। इस पर जानकारी होने से यथा शीघ्र अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा कर अपील को अन्दर मयाद शुमार की जावें एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 व 4 के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि मौजा नागणेशियान में खेत खसरा संख्या 320, 321 क्रमशः रकबा 1—18, 45—07 बीघा भूमि पक्षकारान के खातेदारी में दर्ज थी। पक्षकारान द्वारा दिनांक 10.04.2013 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी कवास द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.04.2013 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अपीलांट स्वंय की सहमति एवं उनकी उपस्थिति में पारित हुआ हैं। अपीलांट को इस आदेश की आरम्भ से ही जानकारी थी तथा उपखण्ड न्यायालय मे नेखमबंदी का वाद प्रस्तुत करने के पश्चात उक्त अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। उक्त अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों के साथ मयाद बाहर प्रस्तुत की हैं जो खारिज योग्य हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

7. हमने पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है मौजा नागणेशियान पटवार हल्का ढूण्ढा में खेत खसरा संख्या 320, 321 क्रमशः रकबा 1—18, 45—07 बीघा भूमि खातेदारान रावताराम, बींजाराम, रूपाराम पि. गेमराराम, खेतू देवी धर्मपत्नी गेमराराम, वीरमाराम पुत्र सोनाराम कौम नाई सा. देह के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन हेतु दिनांक 10.04.2013 को प्रार्थना—पत्र पेश कर प्रार्थना—पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस [illegible] पटवारी कवास की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बाड़[illegible] विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 518 दिनांक 12.04.2013 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.10.2025 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:44:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलांट्स का कथन है कि पक्षकारों के मध्य सम्पूर्ण कार्यवाही सहमति द्वारा की गई लेकिन पक्षकारान मात्र साक्षर होने से राजस्व भाषा/दस्तावेजों के संबंध में अनजान थे, उक्त बंटवाडे में जो नक्शों में रंग भरा गया वह कब्जा काश्त अनुसार सही है किन्तु प्रस्ताव प्रपत्र में जो खसरों का इन्द्राज किया गया वह नक्शे में भरे रंग व कब्जा काश्त के विपरीत है। जिससे अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त एवं विधिक हिस्सों अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 एवं 4 के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट स्वंय की सहमति एवं उनकी उपस्थिति में पारित हुआ हैं। जिसकी अपीलांट को इस आदेश की आरम्भ से ही जानकारी थी इसलिए अपीलांट की यंह अपील मयाद बाहर के साथ सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। इस प्रकार अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पो. द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया जाता है कि पक्षकारों के मध्य सम्पूर्ण कार्यवाही सहमति द्वारा की गई लेकिन पक्षकारान मात्र साक्षर होने से राजस्व भाषा/दस्तावेजों के संबंध में अनजान थे, उक्त बंटवाडे में जो नक्शों में रंग भरा गया वह कब्जा काश्त अनुसार सही है किन्तु प्रस्ताव प्रपत्र में जो खसरों का इन्द्राज किया गया वह नक्शे में भरे रंग व कब्जा काश्त के विपरीत है। इससे यह प्रतीत होता है कि नक्शा तैयार करते समय अपीलांट्स साक्षर होने से उसके द्वारा सहमति स्वरूप अपने अंगुष्ठ निशान एवं हस्ताक्षर अंकित किया हैं, जैसाकि अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रकट किया हैं। ऐसे में अपीलाधीन आदेश की विषयवस्तु उनकी सहमति के बिना एवं उनकी समझ एवं सूझबूझ में हों ऐसा अभिलेख में प्रमाणित नहीं हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के हिस्सों एवं मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 518 दिनांक 12.04.2013 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा, पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:44:47 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर